अध्याय-4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

अध्याय 4

लेखाओं की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहार

यह अध्याय पूर्णता, पारदर्शिता, माप और प्रकटीकरण के संबंध में निर्धारित वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के साथ अपने वित्तीय प्रतिवेदन व्यवहारों में राज्य सरकार के लेखों की गुणवत्ता और अनुपालन का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी के साथ एक सुदृढ़ आंतरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इस प्रकार, वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निदेशों के अनुपालन के साथ-साथ उस अनुपालन की स्थिति पर समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्रतिवेदन सुशासन की विशेषताओं में से एक है। अनुपालन और नियंत्रण पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और संक्रियात्मक हो, तो रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित सरकार को अपने बुनियादी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

4.1 ऑफ-बजट उधार

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विशेष प्रयोजन साधन (एस.पी.वी.) द्वारा ऑफ-बजट उधार या तो स्पष्ट भुगतान या गारंटी हैं और राज्य की आकस्मिक देनदारियां हैं। राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 2023-24 के दौरान राज्य पी.एस.यू./एस.पी.वी. द्वारा कोई ऑफ बजट उधार नहीं लिया गया था।

4.2 राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से हस्तांतरित निधि

केन्द्र सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त निधि हस्तांतरित करती है।

31 मार्च 2014 तक, केन्द्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने के लिए, जिन्हें महत्वपूर्ण माना गया था, राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे तौर पर बड़ी मात्रा में निधि हस्तांतरित कर दी थी। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजे गए थे, इसलिए वार्षिक वित्त लेखे में ऐसे निधियों के प्रवाह को शामिल नहीं किया जा सका। इस प्रकार, उस सीमा तक, राज्य की प्राप्तियाँ और व्यय तथा उनसे प्राप्त अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मापदंड पूरी तस्वीर प्रस्तुत नहीं करते।

वर्ष 2014-15 के दौरान, भारत सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केंद्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता को राज्य की समेकित निधि के माध्यम से देने का निर्णय लिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि वर्ष 2013-14 में ₹ 2,601.80 करोड़ से घटकर वर्ष

2014-15 में ₹ 130.92 करोड़ रह गई। हालांकि, बाद के वर्षों में कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि की मात्रा में वृद्धि हुई और वर्ष 2023-24 में ₹ 6,829.58 करोड़ पहुँच गयी।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत ₹ 6,829.58 करोड़ का केंद्र का हिस्सा सीधे कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित किया गया। यह कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 87,929 करोड़) और राजस्व व्यय (₹ 76,676 करोड़) का क्रमशः 7.77 और 8.91 प्रतिशत था। राज्य की समेकित निधि के माध्यम से धनराशि को स्थानांतरित किए बिना कार्यान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरण न केवल राज्य के बजट और व्यय को उस सीमा तक संकुचित कर दिया (₹ 6,829.58 करोड़), बल्कि इसका यह भी अर्थ है कि बनाई गई परिसंपत्ति और जनता को दिए गए लाभों की लागत राज्य के खातों में परिलक्षित नहीं हुए।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जिन मामलों में कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि सीधे हस्तांतरित की गई, उनमें जल जीवन मिशन/राष्ट्रीय पेयजल मिशन, महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, आयुष्मान भारत आदि योजनाएँ शामिल हैं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित निधियों का विवरण **तालिका 4.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.1: भारत सरकार द्वारा सीधे राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित की गई निधि

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	भारत सरकार के योजनाओं के नाम	कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम	2023-24 में भारत सरकार द्वारा जारी राशि
1	जल जीवन मिशन	झारखण्ड राज्य जल तथा स्वच्छता मिशन	2,875.35
2	मनरेगा	झारखण्ड राज्य एन.ई.एफ.एम.एस.	2,265.15
3	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि	कृषि विभाग	1,471.25
4	आयुष्मान भारत	झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी	83.55
5	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	झारखण्ड राज्य आरोग्य सोसाईटी	51.16
6	एन.एफ.एस.ए. के तहत अनाज की खरीद	झारखण्ड राज्य खाद्य एवं जन आपूर्ति निगम	42.77
7	अन्य	विभिन्न एजेंसियाँ	40.35
कुल			**6,829.58**

स्रोत: राज्य लेखा (2023-24) के लिए लेखा-महानियंत्रक के सार्वजनिक/लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल

चूँकि, ये धनराशि राज्य के बजट के माध्यम से नहीं गुजरती है, अतः ये राज्य सरकार के लेखों में परिलक्षित नहीं होती है। ये स्थानांतरण वित्त लेखे के खंड II के परिशिष्ट VI में दिखाए जाते हैं।

4.3 स्थानीय निकाय निधि जमा

राज्य पंचायती राज अधिनियमों में प्रावधान है कि जिला परिषद (जि.प.) पंचायत समिति (पं.स.) और ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.) क्रमश: जि.प. निधि, पं.स. निधि और ग्रा.पं निधि (मुख्य शीर्ष 8448 के अंतर्गत स्थानीय निधियों की जमा - 109-पंचायत निकाय निधियों के अंतर्गत) का संधारण करेगी जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पी.आर.आई. द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें कर और पंचायत की गैर-कर प्राप्तियाँ शामिल है। अधिनियमों में यह भी परिकल्पना की गई है कि नगरपालिका कोष को नगरपालिका द्वारा संधारित किया जाना है। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और नगर पालिकाओं द्वारा प्राप्त अन्य सभी धन नगरपालिका निधि में प्रमुख शीर्ष '8448-स्थानीय निधियों का जमा-102-नगरपालिका निधि' के तहत रखा जाता है। विवरण **तालिका 4.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.2: स्थानीय निकाय निधि जमा

(₹ करोड़ में)

वर्ष			2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
पंचायती राज संस्थाएँ	8448-109	प्रारंभिक शेष	364.38	338.12	351.01	332.12	452.33
		राज्य सरकार से प्राप्तियाँ	124.60	100.19	90.78	211.26	290.82
		व्यय	150.86	87.30	109.67	91.04	196.30
		अंत शेष	**338.12**	**351.01**	**332.12**	**452.33**	**546.85**
शहरी स्थानीय निकाय	8448-102	प्रारंभिक शेष	1,959.09	2,077.75	2,341.87	1,463.14	1,257.49
		राज्य सरकार से प्राप्तियाँ	1,252.93	1,204.29	543.41	656.50	501.83
		व्यय	1,134.27	940.17	1,422.14	862.14	639.10
		अंत शेष	**2,077.75**	**2,341.87**	**1,463.14**	**1,257.49**	**1,120.22**

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे।

जैसा कि **तालिका 4.2** से देखा जा सकता है, प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में अप्रयुक्त शेष राशि के बावजूद, राज्य सरकार स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान प्रदान करती रही। 2022-23 और 2023-24 के दौरान, पंचायती राज संस्थाओं द्वारा व्यय सरकार से प्राप्त निधि की तुलना में उल्लेखनीय रूप से कम था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण में विलंब

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.) में प्रावधान है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान ग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) को प्राप्त करना चाहिए और सत्यापन के बाद अनुदान के आहरण के 12 महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 तक दिए गए अनुदान के संबंध में देय कुल ₹ 1,33,161.50 करोड़ के 47,367 उपयोगिता प्रमाण पत्र[1] मार्च 2024 के अंत तक बकाया थे।

आगे, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 30,038.20 करोड़ के कुल सहायता अनुदान में से एक बड़ी राशि (₹ 8,549.30 करोड़) पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निकायों और प्राधिकरणों को दी गई थी। हालाँकि, पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्रों को अधिकारियों द्वारा प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसलिए, उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

इन उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का एक बड़ा हिस्सा पाँच विभागों के विरूद्ध बकाया था, जो **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है।

चार्ट 4.1: प्रमुख अनुदानों से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

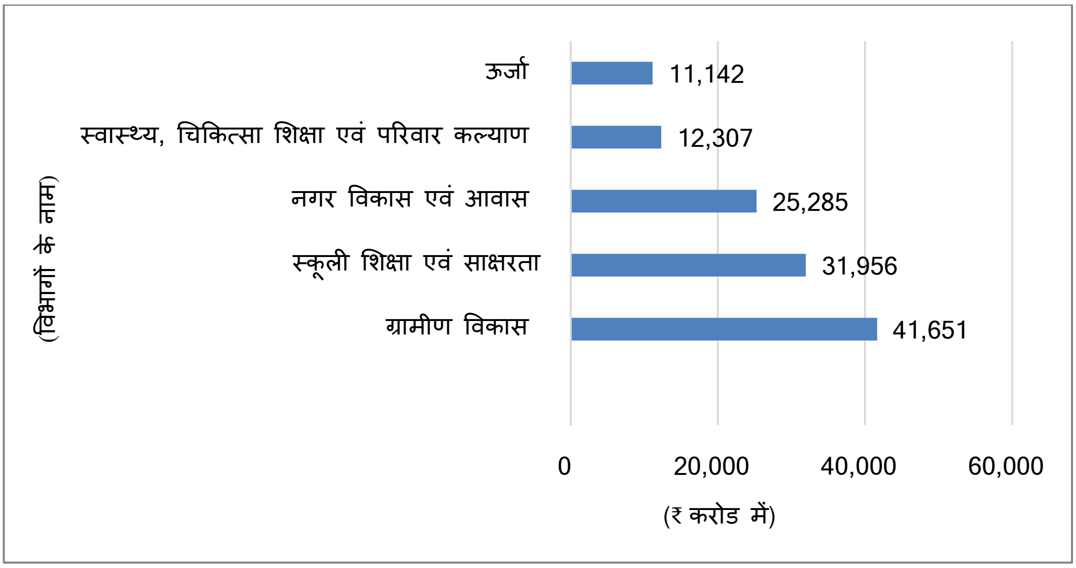

31 मार्च 2024 तक बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या और राशि **तालिका 4.3** में दर्शायी गयी हैं।

[1] प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेख के अनुसार समायोजन लंबित है।

तालिका 4.3: उपयोगिता प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण का बकाया

(₹ करोड़ में)

संवितरण वर्ष	प्रारंभिक शेष		योग		समायोजन		प्रस्तुति हेतु बकाया	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2019-20 तक	29,268	69,312.78	4,749	18,734.70	28	394.89	33,989	87,652.59
2020-21	33,989	87,652.59	5,075	15,806.55	789	1,285.72	38,275	1,02,173.42
2021-22	38,275	1,02,173.42	5,194	13,979.67	1,311	2,117.47	42,158	1,14,035.62
2022-23*	42,158	1,14,035.62	5,276	19,930.07	67	804.19	47,367	1,33,161.50

**2022-23 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के अवधि के लिए देय हुए।*

बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की संख्या और राशि का वर्षवार विभाजन **तालिका 4.4** में दिया गया है।

तालिका 4.4: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

संवितरण वर्ष	उपयोगिता प्रमाणपत्र की संख्या	राशि
2013-14 तक	4,926	3,854.86
2014-15	2,083	5,285.27
2015-16	8,585	9,055.83
2016-17	4,461	14,173.20
2017-18	3,723	18,396.33
2018-19	4,251	16,526.39
2019-20	4,420	18,128.69
2020-21	4,561	14,840.32
2021-22	5,148	13,774.73
2022-23*	5,209	19,125.88#
कुल	**47,367**	**1,33,161.50**

**2022-23 के दौरान संवितरित किए गए सहायता अनुदान के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र 2023-24 के अवधि के लिए देय हुए।*

 # इसमें वर्ष के दौरान सहायता अनुदान विपत्रों के माध्यम से एकल नोडल एजेंसियों को हस्तांतरित ₹ 11,552.10 करोड़ शामिल हैं।

सहायता अनुदान विपत्रों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्राप्त न होना यह दर्शाता है कि विभागीय अधिकारी निर्धारित उद्देश्य के लिए अनुदान के उपयोग को समय पर प्रस्तुत करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विफल रहे हैं। उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के लंबित रहने से धन के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का जोखिम बना रहता है। विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत न करने के कारण नहीं बताए गए।

4.5 अनुदान संख्या 48 में अनुदान के विरूद्ध बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र

झा.को.सं. में वर्णित है कि विभागीय अधिकारियों को अनुदान प्राप्तकर्ताओं से उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन के बाद अनुदान आहरण की तिथि से 12 महीने के भीतर इन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को अग्रेषित करना चाहिए।

31 मार्च 2024 तक अनुदान संख्या 48- नगर विकास एवं आवास विभाग (नगर विकास प्रभाग) में बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या और राशि **तालिका 4.5** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.5: अनुदान संख्या 48 में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुति हेतु बकाया

(₹ करोड़ में)

शीर्ष	संवितरण का वर्ष	कुल जारी अनुदान		जमा किए गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्रस्तुति हेतु बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2401	2020-21 तक	104	340.35	06	1.13	98	339.22
	2021-22	51	544.43	00	0.00	51	544.43
	2022-23	45	16.84	00	0.00	45	16.84
कुल		**200**	**901.62**	**06**	**1.13**	**194**	**900.49**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं ह.) झारखण्ड का कार्यालय

जैसा कि **तालिका 4.5** से देखा जा सकता है, ₹ 900.49 करोड़ की बड़ी राशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे, जो कि कोषागार संहिता के प्रावधान का उल्लंघन है, जिसके अनुसार उपयोगिता प्रमाण-पत्र विपत्र आहरण के 12 महीने के भीतर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

4.5.1 राज्यांश के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार को भेजे गए जबकि प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को नहीं

राज्य शहरी विकास अभिकरण (सुडा) के अभिलेखों की नमूना-जाँच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान अमृत परियोजना में राज्यांश के रूप में ₹ 372.41 करोड़ का अनुदान प्रदान किया गया था। उक्त राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गए परंतु प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड के कार्यालय में जमा नहीं किए गए। इस प्रकार, ये उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड के अभिलेखों में लंबित रहे।

4.5.2 ऋण राशि के लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रावधानों के अनुसार, स्वीकृत या दिए गए ऋण को उपयोग उपरांत जिन उद्देश्यों के लिए दिया गया था, उसे विभाग के माध्यम से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करना आवश्यक है।

चयनित इकाइयों की लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि सात शहरी स्थानीय निकायों को ₹ 94.24 करोड़ की राशि ऋण के रूप में दी गई थी, जैसा कि **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: ऋण के विरुद्ध लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	राँची नगर निगम	धनबाद नगर निगम	चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद	जुगसलाई नगर परिषद, जमशेदपुर	अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	दुमका नगर परिषद	बासुकीनाथ नगर परिषद	कुल
1	2002-03	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	**3.30**
2	2003-04	0.00	0.98	0.00	0.00	1.65	0.33	2.21	**5.17**
3	2004-05	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.50	0.08	**0.90**
4	2005-06	0.00	1.20	0.54	0.00	0.00	1.70	0.14	**3.58**
5	2006-07	0.00	0.80	0.20	0.24	0.00	0.39	0.00	**1.63**
6	2007-08	4.31	2.08	0.11	0.00	1.39	0.58	0.59	**9.06**
7	2008-09	0.00	3.99	0.11	0.00	0.00	0.78	0.62	**5.50**
8	2009-10	6.66	2.99	0.05	0.00	0.85	0.00	0.37	**10.92**
9	2010-11	0.00	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	**1.57**
10	2011-12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
11	2012-13	0.00	2.18	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	**2.48**
12	2013-14	0.00	1.31	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	**1.51**
13	2014-15	4.55	1.31	0.00	0.00	0.20	0.20	0.02	**6.28**
14	2015-16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	**0.36**
15	2016-17	6.33	0.00	0.00	0.72	0.35	1.20	0.05	**8.65**
16	2017-18	6.14	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	**8.43**
17	2018-19	5.99	2.55	0.00	0.00	0.34	0.28	0.05	**9.21**
18	2019-20	6.17	2.14	0.00	0.79	0.42	0.19	0.05	**9.76**
19	2020-21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**
20	2021-22	3.58	1.79	0.00	0.22	0.30	0.00	0.04	**5.93**
कुल		**43.73**	**29.18**	**1.01**	**1.97**	**6.36**	**7.67**	**4.32**	**94.24**

स्रोतः प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड का कार्यालय द्वारा संधारित अभिलेख

वर्ष 2002 से, शहरी स्थानीय निकायों द्वारा महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को न तो ऋण के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र और न ही व्यय का ब्यौरा दिया गया।

इतनी लंबी अवधि तक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का लंबित रहना न केवल विभाग की अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और खराब निगरानी का संकेत है, बल्कि इससे लोक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी है।

4.5.3 गलत उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण

झा.को.सं. के नियम 261 के अनुसार, सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता अनुदान, अंशदान आदि को सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी के प्राधिकार के बिना कोषागार द्वारा संवितरण नहीं किया जाएगा, जो निकासी एवं संवितरण अधिकारी से पिछले वित्तीय वर्ष से पूर्व वर्ष में निकाली गई लंबित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृति आदेश जारी करेगा।

नगर विकास विभाग की नमूना-जाँच की गई इकाइयों में लेखापरीक्षा के दौरान देखा गया कि पाँच इकाइयों में वर्ष 2021-23 के दौरान विभिन्न घटकों के तहत आवंटित ₹ 49.68 करोड़ में से ₹ 10.87 करोड़ खर्च किए गए और शेष ₹ 38.81 करोड़

पी.एल. खातों में जमा किए गए। हालांकि, वर्ष 2021-23 से संबंधित ₹ 49.56 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र विभाग को भेजे गए हैं, जबकि कुल व्यय केवल ₹ 10.87 करोड़ था, जैसा कि **तालिका 4.7** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.7: अव्ययित सहायता अनुदान के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़ में)

इकाई का नाम	वर्ष	आवंटित अनुदान	व्यय	पी.एल. खातों में शेष राशि	विभाग को भेजे गए उपयोगिता प्रमाण-पत्र	अव्ययित राशि जिसके विरुद्ध उ.प्र.प. भेजे गए	घटक जिनके तहत अनुदान प्रदान किया गया था
अधिसूचित क्षेत्र समिति, जमशेदपुर	2021-22	8.17	0.00	8.17	8.17	8.17	परिवहन/ सड़क निर्माण
	2022-23	8.17	0.00	8.17	8.17	8.17	
नगर आयुक्त, मानगो	2021-22	2.66	0.00	2.66	2.66	2.66	परिवहन/ सड़क निर्माण
	2022-23	2.66	1.65	1.01	2.66	1.01	
चिरकुंडा नगर परिषद, धनबाद	2021-22	2.18	1.48	0.70	2.06	0.58	संचालन एवं रखरखाव, जलापूर्ति आदि
धनबाद नगर निगम	2022-23	24.38	7.04	17.34	24.38	17.34	नागरिक सुविधा
दुमका नगर परिषद	2022-23	1.46	0.70	0.76	1.46	0.76	शहरी परिवहन
कुल		**49.68**	**10.87**	**38.81**	**49.56**	**38.69**	

बिना वास्तविक उपयोग के उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुतीकरण न केवल विभाग की अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और खराब निगरानी का संकेत है, बल्कि इससे लोक धन के दुरुपयोग का जोखिम भी है।

4.6 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र

झारखण्ड कोषागार संहिता (झा.को.सं.), 2016 यह निर्धारित करता है कि जब आकस्मिक शुल्क को कोषागार से अग्रिम के रूप में संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर बिना किसी उप-वाउचर के निकाला जाता है, तो संबंधित विस्तृत आकस्मिक (डी.सी.) विपत्र, उप-वाउचर के साथ समर्थित और नियंत्रण अधिकारी (सी.ओ.) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, ए.सी. विपत्रों के आहरण की तिथि से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। 31 मार्च 2024 तक लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्ष-वार विवरण **तालिका 4.8** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.8: ए.सी. विपत्रों के विरूद्ध डी.सी. विपत्रों के जमा करने की वर्ष-वार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया ए.सी. विपत्र		जमा किए गए डी.सी. विपत्र		शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	1,331	149.96	490	84.83	841	65.13
2001-2002	5,493	506.18	3,012	322.40	2,481	183.78
2002-2003	3,846	408.07	2,462	306.79	1,384	101.28
2003-2004	7,640	619.55	5,551	506.19	2,089	113.36
2004-2005	6,664	1,171.01	5,117	1,018.91	1,547	152.11
2005-2006	6,145	1,084.18	4,969	872.95	1,176	211.23
2006-2007	6,053	1,502.66	4,793	1,222.97	1,260	279.69
2007-2008	6,862	1,796.19	5,642	1,368.67	1,220	427.52
2008-2009	4,747	2,937.18	3,560	2,412.28	1,187	524.90
2009-2010	2,087	996.69	1,134	729.25	953	267.44
2010-2011	1,891	824.63	912	596.70	979	227.93
2011-2012	1,077	1,611.15	646	1,448.70	431	162.45
2012-2013	545	924.98	365	784.46	180	140.52
2013-2014	468	666.82	271	612.40	197	54.42
2014-2015	550	721.23	307	500.79	243	220.44
2015-2016	806	1,224.90	454	954.84	352	270.07
2016-2017	459	1,267.80	219	1,060.85	240	206.95
2017-2018	335	1,209.12	137	1,097.19	198	111.92
2018-2019	243	1,061.32	97	958.55	146	102.77
2019-2020	330	2,168.00	149	2,003.84	181	164.16
2020-2021	357	1,911.16	123	1,540.55	234	370.61
2021-2022	246	2,668.28	89	2,435.69	157	232.59
2022-2023	379	638.35	48	339.46	331	298.89
2023-2024*	7	3.68	3	2.12	4	1.56
कुल	**58,561**	**28,073.10**	**40,550**	**23,181.39**	**18,011**	**4,891.72**

** सितंबर 2023 तक आहरित किए गए के ए.सी. विपत्रों को लिया गया है।*

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संधारित अभिलेख

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के आठ विभागों ने 30 संक्षिप्त आकस्मिक (ए.सी.) विपत्रों पर ₹ 26.22 करोड़ आहृत किए हैं। 30 ए.सी. विपत्रों में से ₹ 3.68 करोड़ की राशि के सात ए.सी. विपत्र सितंबर 2023 तक निकाले गए, जिन्हें जमा करने की अंतिम तिथि मार्च 2024 थी। इन सात ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध केवल ₹ 2.12 करोड़ की राशि के तीन डी.सी. विपत्र ही समय पर जमा किए गए और ₹ 1.56 करोड़ की राशि के चार ए.सी. विपत्र बकाया रह गए।

ऐसा आश्वासन नहीं है कि वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 1.56 करोड़ की राशि वास्तव में उस उद्देश्य के लिए खर्च की गई है जिसके लिए इसे विधानमंडल द्वारा स्वीकृत/अधिकृत किया गया था। वर्ष के दौरान व्यय को इस सीमा तक बढ़ाकर भी बताया गया हो सकता है।

इस प्रकार, सितंबर 2023 तक निकाले गए ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के 18,011 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2024 तक बकाया थे। निकाले गए और हिसाब में नहीं रखे गए अग्रिमों से अपव्यय/दुरुपयोग/दुराचार आदि की संभावना बढ़ जाती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरित कुल राशि में से ₹ 13.32 करोड़ की राशि के नौ ए.सी. विपत्र मार्च 2024 में आहरित किए गए। मार्च में ए.सी. विपत्रों के माध्यम से धन की निकासी से संकेत मिलता है कि ये निकासी मुख्य रूप से बजट को समाप्त करने के लिए की गई थी और इससे अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण का पता चलता है।

लंबित डी.सी. विपत्रों की अधिकतम राशि वाले विभागों का तुलनात्मक विवरण **चार्ट 4.2** और **तालिका 4.9** में दिया गया है।

चार्ट 4.2: प्रमुख विभागों के संदर्भ में लंबित डी.सी. विपत्र

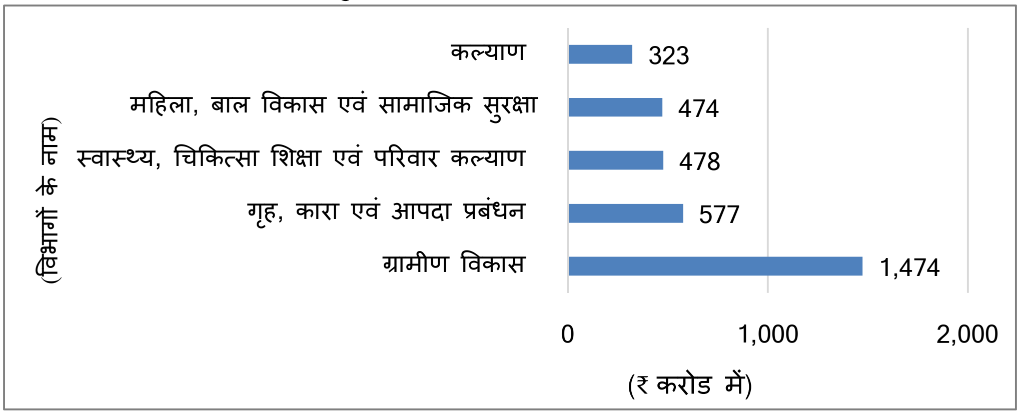

तालिका 4.9: पाँच प्रमुख विभागों में लंबित डी.सी. विपत्रों का वर्ष-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रामीण विकास विभाग		गृह, कारा और आपदा प्रबंधन विभाग		स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग		महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग		कल्याण विभाग	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2000-2001	272	15.85	57	0.11	58	0.02	0	0.00	208	0.57
2001-2002	297	29.43	205	4.64	438	11.68	352	12.66	567	81.54
2002-2003	218	40.45	131	2.84	207	2.67	183	14.37	48	4.08
2003-2004	206	38.90	215	8.28	63	5.07	657	26.12	218	13.61
2004-2005	163	53.86	101	7.19	99	26.76	331	20.03	123	9.24
2005-2006	101	51.14	136	3.42	100	20.12	197	51.04	110	30.68
2006-2007	109	35.37	140	6.02	134	47.96	206	87.39	125	25.22
2007-2008	184	33.97	90	2.64	106	115.56	189	64.46	102	67.49
2008-2009	205	54.45	146	10.22	61	42.80	207	54.48	68	34.20
2009-2010	183	53.11	140	22.75	49	64.02	295	45.53	19	3.37
2010-2011	176	80.12	68	30.75	5	0.11	333	37.67	19	10.61
2011-2012	96	63.63	32	7.88	13	0.42	38	3.18	29	4.69
2012-2013	83	79.42	6	0.16	2	0.09	21	26.63	19	13.81
2013-2014	106	29.08	6	0.56	16	11.89	10	0.18	13	1.53
2014-2015	136	117.19	13	33.77	6	2.28	7	0.09	20	3.04
2015-2016	192	152.94	28	30.99	12	16.57	10	23.64	23	17.85
2016-2017	107	37.49	20	29.12	8	3.01	0	0.00	3	0.10
2017-2018	111	33.93	23	29.70	3	2.09	0	0.00	0	0.00
2018-2019	110	25.15	7	40.80	3	4.44	1	0.45	1	1.09
2019-2020	112	38.36	47	98.27	0	0.00	0	0.00	0	0.00
2020-2021	196	52.54	15	169.65	2	79.32	1	0.15	0	0.00
2021-2022	127	99.07	1	0.00	15	7.34	2	5.74	0	0.00
2022-2023	304	258.04	3	33.08	17	3.71	0	0.00	0	0.00
2023-24	0	0.00	4	4.38	16	10.35	0	0.00	0	0.00
कुल	**3,794**	**1,473.51**	**1,634**	**577.22**	**1,433**	**478.29**	**3,040**	**473.79**	**1,715**	**322.70**

जैसा कि **तालिका 4.9** से देखा जा सकता है, 2000-01 से आहरित ए.सी. विपत्र समाशोधन के लिए लंबित हैं। यह एक गंभीर अनियमितता है तथा सरकारी निधियों के दुरुपयोग से इंकार नहीं किया जा सकता।

4.7 डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतीकरण

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 186 एवं 187 के अनुसार, नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित और उप-वाउचर के साथ समर्थित डी.सी. विपत्र, ए.सी. विपत्रों के निकासी से छह महीने के भीतर प्रधान महालेखाकार (ले. व हक.) को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इस अवधि की समाप्ति के बाद कोई आकस्मिक विपत्र पर निकासी तब तक नहीं की जा सकती जब तक विस्तृत विपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आँकड़ों के अनुसार, शीर्ष 4217, 2251, 2217 और 2215 के अंतर्गत 2021-22 तक ₹ 45.09 करोड़ की राशि के 109 ए.सी. विपत्र अनुदान संख्या 48 - नगर विकास विभाग (नगर विकास प्रभाग) द्वारा आहरित किए गए। इनमें से ₹ 6.03 करोड़ की राशि से संबंधित 47 डी.सी. विपत्र प्रस्तुत किए गए तथा शेष ₹ 39.06 करोड़ की राशि से संबंधित 62 ए.सी. विपत्र 31 मार्च 2024 को बकाया थे। विवरण **तालिका 4.10** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.10: डी.सी. विपत्रों का अप्रस्तुतिकरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	वर्ष	ए.सी. विपत्रों का विवरण		जमा किए गए डी.सी. विपत्र		बकाया डी.सी विपत्र	
		ए.सी. विपत्रों की सं.	राशि	डी.सी. विपत्रों की सं.	राशि	डी.सी. विपत्रों की सं.	राशि
4217	2021-22 तक	19	2,880.04	02	35.97	17	2,844.06
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2251	2021-22 तक	29	7.89	17	5.79	12	2.10
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2217	2021-22 तक	58	1,620.86	26	561.41	32	1,059.45
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
2215	2021-22 तक	03	0.41	02	0.34	01	0.07
	2022-23	00	0.00	00	0.00	00	0.00
	2023-24	00	0.00	00	0.00	00	0.00
कुल		**109**	**4,509.20**	**47**	**603.51**	**62**	**3,905.68**

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संधारित अभिलेख

4.8 स्थानीय निधियों की जमा

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 के अनुसार, कोषागार से राशि तब तक आहरित नहीं की जानी चाहिए, जब तक कि यह त्वरित भुगतान के लिए आवश्यक न हो।

वित्त लेखों और वाउचर स्तरीय कम्प्यूटीरीकरण (वी.एल.सी.) आंकड़ो की समीक्षा से पता चला कि वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख लेखा शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों के जमा के तहत लघु शीर्षों में लेन-देन से संबंधित 209 खाते 31 मार्च 2024 तक राज्य सरकार के विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित थे। शेष राशि का वर्षवार विवरण **तालिका 4.11** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.11: स्थानीय निधियों के जमा का वर्ष-वार विभाजन

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	अंत शेष
2019-20	14,347.24	10,447.62	11,088.27	13,706.59
2020-21	13,706.59	12,279.45	9,683.19	16,302.85
2021-22	16,302.85	10,246.04	11,022.02	15,526.87
2022-23	15,526.87	17,023.16	14,162.63	18,387.40
2023-24	18,387.40	25,731.65	23149.71	20,969.34

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे

तालिका 4.11 से देखा जा सकता है कि 2019-20 और 2021-22 को छोड़कर, 2019-24 की अवधि के दौरान खातों में प्राप्तियों की तुलना में व्यय कम था, जिसके कारण इन वर्षों के दौरान अंत शेष में वृद्धि हुई।

2023-24 के दौरान, संवितरण प्राप्तियों की तुलना में ₹ 2,581.94 करोड़ कम था, जिसके कारण वर्ष के अंत में शेष राशि में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 31 मार्च 2024 को, ₹ 20,969.34 करोड़ की एक बड़ी राशि सरकार के बजटीय नियंत्रण से बाहर रही।

4.9 व्यक्तिगत जमा खाता

झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 328 से 330 में यह प्रावधान है कि वैयक्तिक जमा खाता (पी.डी.ए.) का उपयोग सरकारी सेवक द्वारा विशेष मामलों में किया जा सकता है, जहाँ लोकहित में व्यय में तेजी की आवश्यकता होती है, जो सामान्य कोषागार प्रक्रिया के माध्यम से संभव नहीं है। वित्त विभाग की सहमति और महालेखाकार के प्राधिकरण के बिना कोषागार में कोई व्यक्तिगत जमा खाता नहीं खोला जाना है। वित्त विभाग को अपने प्राधिकरण पत्र में एक तारीख निर्दिष्ट करनी है, जिसके लिए खाता चालू होना है। ऐसी तारीख की समाप्ति पर कोषागार अधिकारी द्वारा वित्त विभाग और महालेखाकार की पूर्व अनुमति के बिना खाता बंद किया जाना है। बंद करने के समय बकाया शेष राशि को कोषागार अधिकारी द्वारा संबंधित शीर्ष में खाताधारक यानी खाता प्रशासक, वित्त विभाग और महालेखाकार को सूचना देते हुए कोषागार में जमा किया जाना है।

वित्त विभाग ने दिसंबर 2019 में सभी जिलों के कोषागार अधिकारियों को जिला भू-अर्जन अधिकारियों के नाम पर पी.डी. खाते खोलने का निर्देश दिया था। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति निधि जमा करने के लिए 24 पी.डी. खाते खोले गए। ये सभी खाते चालू हैं और वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 2,368.79 करोड़ के प्रारंभिक शेष में ₹ 1,187.22 करोड़ की राशि जोड़ी गई। इन पी.डी. खातों में कुल जमा राशि में से, वर्ष के दौरान ₹ 346.31 करोड़ संवितरित किए गए, जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में ₹ 3,209.70 करोड़ की राशि शेष रह गयी।

4.10 लघु शीर्ष 800 का अविवेकपूर्ण उपयोग

'अन्य प्राप्तियाँ' और 'अन्य व्यय' से संबंधित लघु शीर्ष 800 का संचालन केवल तभी किया जाना है जब खातों में उचित लघु शीर्ष प्रदान नहीं किया गया हो। लघु शीर्ष 800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना चाहिए क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

47 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹ 87,928.50 करोड़ की कुल प्राप्तियों में से, ₹ 2,324.60 करोड़ (2.90 प्रतिशत) लघु शीर्ष "800-अन्य प्राप्तियाँ" के अंतर्गत दर्ज की गईं। इसके अलावा, जैसा कि **तालिका 4.12** में दर्शाया गया है, 2023-24 के दौरान, ₹ 1,112.37 करोड़ की कुल प्राप्तियों के विरुद्ध ₹ 1,092.01 करोड़ की राशि की 14 मुख्य शीर्षों में '800' के अंतर्गत दर्ज की गई थी, जो 52 प्रतिशत और उससे अधिक थी।

तालिका 4.12: वित्तीय वर्ष के दौरान लघु शीर्ष 800 - 'अन्य प्राप्तियाँ' के अंतर्गत दर्ज महत्वपूर्ण प्राप्तियाँ

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	'800' में बुक किया गया	कुल प्राप्तियों का प्रतिशत
1	0059	लोक निर्माण	18.52	18.52	100
2	0070	अन्य प्रशासनिक सेवा	186.10	179.09	96
3	0071	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान और वसूली	3.53	3.44	97
4	0075	विविध सामान्य सेवाएँ	412.71	412.65	100
5	0210	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	9.75	5.06	52
6	0215	जल आपूर्ति और स्वच्छता	14.28	14.21	100
7	0235	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	79.49	79.49	100
8	0401	कृषि कर्म	7.40	5.52	75
9	0700	वृहद सिंचाई	125.08	125.08	100
10	0701	मध्यम सिंचाई	70.44	70.19	100
11	0702	लघु सिंचाई	6.21	6.21	100
12	0801	विद्युत	7.19	7.19	100
13	1054	सड़कें और पुल	58.22	51.88	89
14	1456	जन आपूर्ति	113.48	113.48	100
कुल			**1,112.40**	**1,092.01**	**98**

4.11 उचंत एवं ऋण, जमा और प्रेषण मुख्य शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

उचंत शीर्ष तब संचालित किए जाते हैं जब सूचना की प्रकृति की कमी या अन्य कारणों से प्राप्तियों और भुगतानों के लेन-देन लेखा के अंतिम शीर्ष में दर्ज नहीं किए जा सकते। इन लेखा शीर्षों को अंततः नकारात्मक डेबिट या नकारात्मक क्रेडिट द्वारा निष्पादित किया जाता है, जब उनके अंतर्गत राशियों को उनके संबंधित अंतिम लेखा शीर्षों में दर्ज किया जाता है। वर्ष के अंत में उचंत शेष राशि का असमायोजन उस वर्ष के दौरान सरकार की प्राप्तियों और व्यय के सटीक प्रतिबिंब को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं। राज्य के उचंत शेष और प्रेषण शेष की स्थिति क्रमशः **तालिका 4.13** और **तालिका 4.14** में दर्शाई गई है।

तालिका 4.13: उचंत शीर्ष-8658 के तहत शेष राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लघु शीर्ष का नाम	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101- वेतन व लेखा कार्यालय उचंत	557.75	557.26	694.40	696.42	160.69	195.24
निवल	**डेबिट 0.49**		**क्रेडिट 2.02**		**क्रेडिट 34.55**	
102 - उचंत लेखा (सिविल)	93.21	122.57	174.66	181.52	81.55	98.07
निवल	**क्रेडिट 29.36**		**क्रेडिट 6.86**		**क्रेडिट 16.52**	

तालिका 4.14: प्रेषण शीर्ष-8782 के तहत शेष राशि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

	2021-22		2022-23		2023-24	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
102 - पी. डब्ल्यू. प्रेषण	62,735.61	62,817.53	71,182.33	71,254.68	11,927.47	11,996.20
निवल	**क्रेडिट 81.92**		**क्रेडिट 72.35**		**क्रेडिट 68.73**	
103 - वन प्रेषण	3,035.51	3,078.97	4,024.04	4,039.04	1,225.23	1,209.85
निवल	**क्रेडिट 43.46**		**क्रेडिट 15.01**		**डेबिट 15.38**	

स्रोत: झारखण्ड सरकार के वित्त लेखे

इन शीर्षों के अंतर्गत शेष राशि के निहितार्थ नीचे दिए गए हैं:

- **वेतन व लेखा कार्यालय (पी.ए.ओ.) उचंत**

इस शीर्ष के अंतर्गत बकाया डेबिट शेष राशि, केंद्र सरकार के विभागों के पी.ए.ओ. की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.), झारखण्ड द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाती है, जिन्हें अभी तक वसूल नहीं किया गया है। बकाया क्रेडिट शेष राशि, राज्य सरकार की ओर से पी.ए.ओ. द्वारा किए गए भुगतानों को दर्शाती है, जिसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को अभी तक समायोजित नहीं किया गया है। यह देखा गया कि निवल शेष राशि 2022-23 में ₹ 2.02 करोड़ के क्रेडिट शेष से बढ़कर 2023-24 में ₹ 34.55 करोड़ के क्रेडिट शेष हो गई। इस शीर्ष के अंतर्गत निवल क्रेडिट शेष (₹ 34.55 करोड़) के निपटान पर, राज्य सरकार का नकद शेष उस सीमा तक कम हो जाएगा।

- **उचंत लेखा (सिविल)**

इस उचंत लेखा लघु शीर्ष का उपयोग प्राप्तियों (क्रेडिट) और व्यय (डेबिट) की बुकिंग के लिए किया जाता है, जिन्हें प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) द्वारा सहायक दस्तावेजों की प्राप्ति पर समाशोधित किया जाना है। इन मदों के समाशोधन का नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस उचंत शीर्ष के अंतर्गत निवल शेष राशि 2022-23 के दौरान ₹ 6.86 करोड़ के क्रेडिट से बढ़कर 2023-24 में ₹ 16.52 करोड़ क्रेडिट हो गई।

नकद प्रेषण की जाँच और लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन से पता चला कि मार्च 2024 के अंत में ₹ 53.36 करोड़ का क्रेडिट शेष पारगमन में था।

4.12 विभागीय आँकड़ों का मिलान

विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने, उसे बजट अनुदान के भीतर रखने तथा अपने खातों की सटीकता सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए, राज्य वित्तीय नियमावली में प्रावधान है कि वित्तीय वर्ष के दौरान उनकी पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय का मिलान उनके द्वारा हर महीने प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों में दर्ज प्राप्तियों और व्यय के साथ किया जाना चाहिए।

बजट नियमावली के नियम 134 के अनुसार, नियंत्रण अधिकारी को व्यय और प्राप्तियों के गलत वर्गीकरण से बचने के लिए मासिक आधार पर विभागीय खातों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

प्रत्येक वर्ष, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बजट नियंत्रण अधिकारियों को झारखण्ड बजट नियमावली की आवश्यकताओं को दोहराते हैं कि वे अपनी प्राप्तियों और व्यय के मासिक और त्रैमासिक आंकड़ों का मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों से करें।

राज्य की प्राप्तियों और व्ययों का प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के साथ मिलान न किए जाने की नियमित रिपोर्टिंग के बाद परिवर्तन देखा गया, जहां विभागीय अधिकारियों द्वारा राज्य की कुल प्राप्तियों और कुल व्यय का 100 प्रतिशत मिलान प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) की पुस्तकों के साथ किया गया।

4.13 नकद शेष का मिलान

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लेखा पुस्तकों के अनुसार राज्य के नकद शेष और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रिपोर्ट किए गए नकद शेष के बीच कोई अंतर नहीं होना चाहिए।

लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों {₹ 86.66 करोड़ (क्रेडिट)} और आर.बी.आई. द्वारा सूचित किए गए आंकड़ों {(₹ 46.16 करोड़ (डेबिट)} के बीच ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) का अंतर था। वर्ष 2023-24 के लिए ₹ 40.50 करोड़ (निवल क्रेडिट) के अंतर के मुद्दे को प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड ने आर.बी.आई, राँची के साथ मिलान और आवश्यक सुधार के लिए उठाया है।

4.14 लेखा मानकों का अनुपालन

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर संघ और राज्यों के खातों का प्रारूप निर्धारित कर सकते हैं। इसके अलावा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए मानक तैयार करने के लिए 2002 में एक सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (जी.ए.एस.ए.बी.) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखा मानकों (आई.जी.ए.एस.) को अधिसूचित किया है।

तालिका 4.15: लेखा मानकों का अनुपालन

क्र. सं.	लेखांकन मानक	आई.जी.ए.एस. का सार	राज्य सरकार द्वारा अनुपालन	कमी का प्रभाव
1.	**आई.जी.ए.एस.-1:** सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियाँ - प्रकटीकरण आवश्यकताएँ	इस मानक का उद्देश्य संघ, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश (विधानमंडल सहित) द्वारा दी गई प्रतिभूतियों के संबंध में इस तरह की प्रतिभूतियों को एकरूप और पूर्ण प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए संबंधित वित्तीय विवरणी में प्रकटीकरण मानदंड निर्धारित करना है।	अनुपालन किया गया (वित्त लेखा के विवरणी-9 और 20)	कोई कमी नहीं
2.	**आई.जी.ए.एस-2:** सहायता अनुदान का लेखांकन एवं वर्गीकरण	इस मानक का उद्देश्य अनुदाता और अनुदानग्राही दोनों के लिए सरकार के वित्तीय विवरणों में अनुदान-सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण के सिद्धांतों को निर्धारित करना है। इस मानक का उद्देश्य सरकार के वित्तीय विवरणों में उचित प्रकटीकरण के माध्यम से अनुदान-सहायता के लेखांकन और वर्गीकरण के उचित सिद्धांतों को निर्धारित करना है।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 10)	सहायता अनुदान को पूंजीगत अनुभाग में दर्ज किया गया।
3.	**आई.जी.ए.एस.-3:** सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम	इस मानक का उद्देश्य संघ और राज्य सरकारों द्वारा अपने-अपने वित्तीय विवरणों में दिए गए ऋणों और अग्रिमों की पहचान, माप, मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए मानदंड निर्धारित करना है, ताकि पूर्ण, सटीक और एकसमान लेखांकन प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके और सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप सरकारों द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों पर पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित किया जा सके।	आंशिक अनुपालन किया गया (वित्त लेखा का विवरणी 7 एवं 18) प्रचलित और असाधारण लेन-देन में ऋण के रूप में स्वीकृत ऋण के मामलों के संबंध में प्रकटीकरण नहीं किया गया था।	अतिदेय ऋणों की वास्तविक राशि और समय, जब तक ऋण का भुगतान किया जाना है, सुनिश्चित नहीं हो सका।

4.15 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(3) के अनुसार, राज्यपाल/प्रशासक, लोकहित में राज्य या केन्द्र शासित प्रदेश, जैसा भी मामला हो, के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून द्वारा स्थापित निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने का अनुरोध नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक से कर सकते हैं, और जहाँ इस तरह का अनुरोध किया गया है, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को ऐसे निगम के खातों का लेखापरीक्षा करने और इस तरह के लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे निगम की बही-खाता और लेखों तक पहुँच का अधिकार होगा।

धारा 19 के अतिरिक्त, जहां किसी प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं की लेखापरीक्षा किसी कानून द्वारा या उसके अधीन नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को नहीं सौंपी गई है, वहां यदि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल या विधान सभा वाले किसी केंद्रशासित पदेश के प्रशासक द्वारा ऐसा करने का अनुरोध किया जाता है, तो वह ऐसे निकाय या प्राधिकरण के लेखाओं की लेखापरीक्षा ऐसे नियमों और शर्तों पर करेगा, जिन पर उसके और संबंधित सरकार के बीच सहमति हो और ऐसे लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए उसे उस निकाय या प्राधिकरण के बही-खातों और लेखाओं तक पहुंच का अधिकार होगा (धारा 20)।

निकाय या प्राधिकरणों के बकाया लेखे

राज्य में प्रतिवेदित 11 स्वायत्त निकायों के संबंध में प्रस्तुतीकरण, प्रस्तुतीकरण हेतु देय लेखों की संख्या और लेखापरीक्षा की स्थिति से संबंधित विवरण, जो कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (डी.पी.सी.) अधिनियम, 1971 की धारा 19 और 20 के अंतर्गत लेखापरीक्षा योग्य हैं, **तालिका 4.16** में दर्शाया गया है।

तालिका 4.16: लेखा प्रस्तुतीकरण का विवरण और स्वायत निकायों के लेखापरीक्षा की स्थिति

क्र सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
1	झारखण्ड राज्य न्यायिक सेवा प्राधिकरण (झालसा)	2022-23	1	2022-23	सूचित नहीं किया गया	वर्ष 2023-24 वार्षिक लेखा प्रतीक्षारत है।
2	झारखण्ड राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जे.एस.ई.आर.सी)	2011-12	12	2011-12	03.03.2014	निधि नियम तथा लेखे का प्रारूप के अंतिम रूप नहीं दिए जाने के कारण लेखे का लेखापरीक्षा रोक दिया गया।
3	झारखण्ड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण (एस.एच.ए.जे.)	2022-23	1	2020-21	सूचित नहीं किया गया	एनट्रस्टमेंट के बाद, लेखापरीक्षा पूरा किया गया और एस.ए.आर. वर्ष 2011-12 से 2020-21 अवधि के लिए 26 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया।
4	राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स)	2002-03 से 2009-10	14	2002-03 से 2009-10	सूचित नहीं किया गया	2010-11 की अवधि के लिए एनट्रस्टमेंट उपलब्ध नहीं किया गया।

क्र सं.	निकाय/प्रधिकरण के नाम	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	2023-24 तक लंबित लेखों की संख्या	अभी तक निर्गत एस.ए.आर.	विधानमंडल में एस.ए.आर. का उपस्थापन	टिप्पणियाँ
5	राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (एन.यू.एस.आर.एल.), राँची	2016-17	7	2010-11 और 2016-17 की अवधि के लिए लेखाओं का एस.ए.आर. प्रक्रियाधीन है।		
6	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय	2006-07 से 2010-11	18	2005-06	सूचित नहीं किया गया	बैलेंस शीट जमा नहीं होने के कारण लेखापरीक्षा शुरू नहीं हो सकी।
7	झारखण्ड हाउसिंग बोर्ड, राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	23	अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
8	क्षतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और नियोजन प्राधिकरण	2022-23	1	संशोधित वित्तीय विवरण के अभाव में एस.ए.आर. जारी नहीं किया गया।		
9	झारखण्ड अक्षय उर्जा विकास एजेंसी	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	8	अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।		
10	राँची तंत्रिका मनोरोग एवं संबद्ध आयुर्विज्ञान (रिनपास), राँची	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	अब तक न एनट्रस्टमेंट और न ही लेखा प्राप्त किया गया है।			
11	बाबा बैद्यनाथ धाम- बासुकीनाथ तीर्थ क्षेत्र विकास प्राधिकरण	कोई लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	29.11.2022 को पाँच लेखांकन वर्षों के लिए एनट्रस्टमेंट प्राप्त हुआ। लेखाओं की प्रतीक्षा है।			

स्रोत: प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड कार्यालय में संधारित अभिलेख

विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियाँ

कंपनी अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कंपनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने के भीतर यानी अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक अंतिम रूप दिया जाना आवश्यक है। समय पर खाते प्रस्तुत न करने पर कंपनी के अधिकारियों को अधिनियम के तहत दंडात्मक प्रावधानों का सामना करना पड़ सकता है।

नीचे दी गई **तालिका 4.17** में 31 अक्टूबर 2024 तक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा खातों को अंतिम रूप देने में की गई प्रगति का विवरण दिया गया है।

तालिका 4.17: 31 अक्टूबर 2024 तक कार्यरत और अक्रियाशील सार्वजनिक उपक्रमों के खातों को अंतिम रूप देने से संबंधित स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यरत	अक्रियाशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	29	3	32
2	बकाया खातों वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	27	3	30
3	बकाया खातों की संख्या	105	2	107

क्र. सं.	विवरण	कार्यरत	अक्रियाशील	कुल
4(क)	पाँच वर्ष से अधिक बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	06	00	06
4(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	51	00	51
5(क)	तीन से पाँच वर्ष के बीच बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	09	00	09
5(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	39	00	39
6(क)	एक से दो वर्ष के बीच बकाया वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या	15	00	15
6(ख)	उपरोक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में बकाया खातों की संख्या	17	00	17
7	बकाया राशि की सीमा (वर्षों में)	1 से 14	1	1 से 14

स्रोत: कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी से संकलित आँकड़ा

4.16 निकायों और प्राधिकरणों को दिए गए अनुदानों/ ऋणों के विवरणों का अप्रस्तुतीकरण

निकायों एवं प्राधिकरणों जिन्हें समेकित निधि से ऋणों या अनुदानों के माध्यम से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किया जाता है या जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए ऐसे ऋण या अनुदान प्राप्त करते हैं, उनका नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा किया जाता है। अभी तक, राज्य में 84 ऐसे प्रतिवेदित निकाय एवं प्राधिकरण हैं।

संवीक्षा से पता चला कि 84 निकायों/प्राधिकरणों में से, किसी भी निकाय/प्राधिकरण ने नवंबर 2024 तक अपने अद्यतन खाते प्रस्तुत नहीं किए, जबकि आठ[2] निकायों/प्राधिकरणों का शुरूआत से लेखापरीक्षा नहीं किया गया है एवं 25 नए बनाए गए हैं। 51 निकायों एवं प्राधिकरणों का लेखापरीक्षा पूरा कर लिया गया है जैसा कि **परिशिष्ट 4.1** में वर्णित है।

आगे, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 14 एवं 15 के तहत सरकार/विभागाध्यक्ष को लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है:

- विभिन्न संस्थानों को दी गई वित्तीय सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी,
- जिस उद्देश्य के लिए सहायता स्वीकृत की गई है, और
- संस्थानों का कुल व्यय

हालाँकि, राज्य के किसी भी विभाग ने प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को नवंबर 2024 तक ऐसा कोई आँकड़ा उपलब्ध नहीं कराया था।

[2] *(i) झारखण्ड राज्य हिन्दू धर्म ट्रस्ट परिषद (ii) सरकारी प्रेस (iii) वन विकास प्राधिकरण (iv) झारखण्ड खेल प्राधिकरण (v) फुटबॉल स्टेडियम मोराबादी (vi) झारखण्ड कला मंदिर, होटवार (vii) छऊ नृत्य कला केंद्र, सरायकेला और (viii) मानभूम छऊ नृत्य कला केंद्र*

4.17 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि

झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम 31 में यह प्रावधान है कि लोक धन, सरकारी राजस्व, भंडार या अन्य संपत्ति का गबन या अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर कार्यालय द्वारा उच्च अधिकारी, वित्त विभाग के साथ-साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड को तत्काल रिपोर्ट की जानी चाहिए, भले ही उस नुकसान के लिए जिम्मेदार पक्ष द्वारा उसकी भरपाई कर दी गई हो। जैसे ही संदेह हो कि नुकसान हुआ है ऐसी रिपोर्ट तुरंत प्रस्तुत की जानी चाहिए और जाँच होने के क्रम में देरी नहीं की जानी चाहिए। प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) ने सूचित किया है कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा महालेखाकार कार्यालय को ऐसी कोई सूचना नहीं भेजी गई।

4.18 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई

प्रत्येक राज्य में, पी.ए.सी./वित्त विभाग को विधानमंडल में प्रतिवेदन के उपस्थापन के एक महीने के भीतर संबंधित विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रस्तुत कंडिका पर एक स्वप्रेरित व्याख्यात्मक टिप्पणी (ई.एन.) प्रदान करने की आवश्यकता होती है। प्रतिवेदन को पेश किए जाने के तीन महीने के भीतर संबंधित विभागों द्वारा प्रधान महालेखाकार को (पी.ए.सी. को विवीक्षा एवं अग्रतर संचरण हेतु) कृत-कार्रवाई नोट (ए.टी.एन.) उपलब्ध कराने की भी आवश्यकता होती है।

वर्ष 2011-12 के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के कंडिका 2.4.4 में प्रतिवेदित ₹ 8,120.12 करोड़ (विगत वर्षों से संबंधित) के प्रावधानों से अधिक व्यय को लोक लेखा समिति (पी.ए.सी.) की सिफारिशों पर राज्य विधानमंडल द्वारा (13.01.2014) नियमित किया गया था। उसके बाद, प्रावधानों से अधिक व्यय को नियमित नहीं किया गया है, क्योंकि पी.ए.सी. द्वारा कोई सिफारिश नहीं की गई है। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2018-19 के कंडिका 2.3.5 और राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2019-20 के कंडिका 3.3.8.1, अतिरिक्त व्यय के नियमितीकरण से संबंधित, पर 02.08.2022 को पी.ए.सी. में चर्चा की गई।

4.19 निष्कर्ष

31 मार्च 2024 को, ₹ 1,33,161.50 करोड़ की राशि के 47,367 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

31 मार्च 2024 को, ₹ 4,891.72 करोड़ की राशि के 18,011 ए.सी. विपत्रों के विरुद्ध डी.सी. विपत्र प्रधान महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रस्तुत करने के लिए बकाया थे।

4.20 अनुशंसाएँ

- *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किए जाएं। अनुदान जारी करने वाले प्रशासनिक विभागों को अनुदान आदेशों में निर्धारित समय से अधिक लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संग्रह के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। वित्त विभाग यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि चूककर्ता अनुदानग्राहियों को आगे कोई और अनुदान जारी न किया जाए। सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करनी चाहिए जिन्होंने समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को जमा करने में चूक की है।*

- *वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि के भीतर सभी बकाया ए.सी. विपत्र को समयबद्ध तरीके से समायोजित करें, और यह भी सुनिश्चित करे कि ए.सी. विपत्र केवल बजट की व्यपगतता से बचने के लिए नहीं आहरित किए जाएँ।*

राँची **(इन्दु अग्रवाल)**

दिनांक: 08 अप्रैल 2025 **प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) झारखण्ड**

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली **(के. संजय मूर्ति)**

दिनांक: 15 अप्रैल 2025 **भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक**